



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 210-2021/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 16, 2021 (AGRAHAYANA 25, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 दिसम्बर, 2021

संख्या 67/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 112/एसटी-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 112/एसटी-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में, मद (क) तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(क) श्री रविन्द्र कौशिक, संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा।”।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 16th December, 2021

No. 67/GST-2.— In exercise of the powers conferred under section 96 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following amendment in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.112/ST-2, dated the 18th October, 2017, namely:—

Amendment

In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 112/ST-2, dated the 18th October, 2017, for serial number 1 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“1. Sh. Ravinder Kaushik , Joint Excise and Taxation Commissioner, Haryana.”

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218-2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2021 (PAUSA 8, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 दिसम्बर, 2021

संख्या 68/जीएसटी-2.-हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) तथा धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

क. अनुसूची I- 2.5% में, -

- (i) क्रम संख्या 203, 207, 211, 216, 217, 218, 218ख, 218ग, 219क, 219कक, 219ख, 220, 221, 222, 223, 224, 224क एवं 225 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

ख. अनुसूची II- 6% में, -

- (i) क्रम संख्या 132क और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 132क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"132कक	5007	सिल्क या सिल्क अपशिष्ट से बुने हुए कपड़े
132कख	5111	कार्डेड ऊन या पशुओं के कार्डेड फाईन बाल से बुने हुए कपड़े
132कग	5112	कोमड ऊन या पशुओं के कोमड फाईन बालसे बुने हुए कपड़े
132कघ	5113	पशुओं के कोयर्स हेयर या घोड़ों के बाल से बने हुए कपड़े
132कड.	5208	कपास से बुने हुए सूती कपड़े, जिसमें कपास का भार 85% या इससे अधिक हो, जिनका भार 200 g/m ² से अधिक न हो
132कच	5209	कपास से बुने हुए सूती कपड़े, जिसमें कपास का भार 85% या इससे अधिक हो, जिनका भार 200 g/m ² से अधिक हो
132कछ	5210	कपास से बुने हुए सूती कपड़े, जिसमें कपास का भार 85% से कम हो, जो कि मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर से मिश्रित हो, जिनका भार 200 g/m ² से अधिक न हो

132कज	5211	कपास से बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास का भार से 85% से कम हो, जो कि मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर से मिश्रित हो, जिनका भार 200 g/m ² से अधिक हो
132कझ	5212	अन्य बुने हुए सूती कपड़े
132कञ	5309	पलैक्स के बुने हुए कपड़े
132कट	5310	जूट या अन्य टेक्सटाईल बास्टोफाइबर, जो कि शीर्ष 5303 के अंतर्गत आता है, से बुने हुए कपड़े
132कठ	5311	अन्य वानस्पतिक टेक्स टाईल फाइबर से बुने हुए कपड़े; पेपर यार्न से बुने हुए कपड़े”;

- (iii) क्रम संख्या 132ख और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 132ख और तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

132खक	5401	मानव निर्मित फिलामेंट से बने सिलाई के धागे, चाहे इनकी खुदरा बिक्री की जानी हो या नहीं
132खख	5402	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न), जो खुदरा बिक्री के लिए न हों, जिनमें 67 डेसीटेक्स से कम का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट भी शामिल है
132खग	5403	आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न), जो खुदरा बिक्री के लिए न हों, जिनमें 67 डेसीटेक्स से कम का आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट भी शामिल है
132खघ	5404	67 डेसीटेक्स या इससे अधिक का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट, और जिसका क्रॉस-सेक्शनल डायमेंशन 1 मि.मी. से अधिक हो; सिंथेटिक टेक्सटाईल सामग्री की पट्टियां और इसी प्रकार की वस्तुएं (जैसे कि आर्टिफिशियल स्ट्रॉ), ऊपरी तौर पर जिनकी चौड़ाई 5 मि.मी. से अधिक न हो
132खड.	5405	67 डेसीटेक्स या इससे अधिक का आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट, और जिसका क्रॉस-सेक्शनल डायमेंशन 1 मि.मी. से अधिक हो; सिंथेटिक टेक्सटाईल सामग्री की पट्टियां और इसी प्रकार की वस्तुएं (जैसे कि आर्टिफिशियल स्ट्रॉ), ऊपरी तौर पर जिनकी चौड़ाई 5 मि.मी. से अधिक न हो
132खच	5406	मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न) जिसे खुदरा बिक्री के लिए रखा गया हो
132खछ	5407	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न से बुने हुए कपड़े, जिसमें वे बुने हुए कपड़े भी आते हैं जो शीर्ष 5404 की सामग्री से प्राप्त किए गए हों
132खज	5408	आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न से बुने हुए कपड़े, जिसमें वे बुने हुए कपड़े भी आते हैं जो शीर्ष 5405 की सामग्री से प्राप्त किए गए हों”;

- (v) क्रम संख्या 132ग और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 132ग तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

132गक	5501	सिंथेटिक फिलामेंट टो
132गख	5502	आर्टिफिशियल फिलामेंट टो
132गग	5503	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर, जो कार्डेड न हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गघ	5504	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर, जो कार्डेड न हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गड.	5505	मानव निर्मित फाइबर के अपशिष्ट; (जिसमें नोएल्लिस, यार्न अपशिष्ट; और गार्नेटेड स्टॉक भी आता है)
132गच	5506	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर, जो कार्डेड हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गछ	5507	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर, जो कार्डेड हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों

132गज	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स से बने सिलाई के धागे, चाहे इनकी खुदरा बिक्री की जानी हो या नहीं
132गझ	5509	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए न हों
132गज	5510	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए न हों
132गट	5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए हों
132गठ	5512	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स का भार 85% या इससे अधिक हों
132गड	5513	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें ऐसा फाइबर्स 85% से कम हो, जिसमें कपास मुख्य रूप से या पूर्णतया मिश्रित हो, जिनका भार 170g/m ² से अधिक न हो
132गढ	5514	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें ऐसा फाइबर्स 85% से कम हो, जिसमें कपास मुख्य रूप से या पूर्णतया मिश्रित हो, जिनका भार 170g/m ² से अधिक हो
132गण	5515	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए अन्य कपड़े
132गत	5516	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े”;

(vii) क्रम संख्या 132घ और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 139 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“टिवन, कार्डेज, रस्सियां और केबल्स, चाहे ये प्लेटेड या ब्रेडेड हों या नहीं और चाहे रबर या प्लास्टिक से इम्प्रेग्नेटेड, कोटेड या सिदेड हो या नहीं”;

(ix) क्रम संख्या 139 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“139क	5608	टिवन, कार्डेज या रस्सियों के नोटेड नटिंग्स-फिशिंग नेट्स के मेड अप्सा” और अन्य मेड अप्स नेट्स, टेक्सटाईल्स सामग्री के”;
-------	------	--

(x) क्रम संख्या 146 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“146क	5801	बुने हुए पाईल फेब्रिक्स और शीनाईल फेब्रिक्सन, उन फेब्रिक्स से भिन्न जो शीर्ष 5802 या 5806 के अंतर्गत आते हैं
-------	------	--

(xi) क्रम संख्या 151 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“151क	5806	नैरो ओवेन फेब्रिक्स, शीर्ष 5807 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न; नैरो फेब्रिक्स जो कि बिना वेपट के वार्प से बने हों, और चिपकाने वाले पदार्थ (बोल्डक्स) से जुड़े हों;
-------	------	---

(xii) क्रम संख्या 154 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“ब्रेड नग में; अलंकृत झालरें, बिना कशिदाकारी की, बुनी या क्रोशियाकृत से भिन्न, झब्बाल, फून्द्ना और वैसी ही वस्तुएं”;

(xiii) क्रम संख्या 155 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“मेटल थ्रेड से बुने हुए कपड़े और शीर्ष 5605 के अंतर्गत आने वाले धातुकृत यार्न के बुने हुए कपड़े, जिनका प्रयोग परिधानों में किया जाता हो, फर्निशिंग फेब्रिक्स या अन्य उद्देश्य के लिए जिनका उपयोग होता हो, जो अन्य कहीं उल्लिखित न हो”;

- (xiv) क्रम संख्या 156 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
"कशिदाकारी जो नग में, पट्टियों में या मोटिफ्स में हों";
- (xv) क्रम संख्या 168 के सामने, खाना (3) में, "इस अध्याय", शब्दों के स्थान पर, "अध्याय 59" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (xvi) क्रम संख्या 168 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"168क	6001	पाईल फेब्रिक्स, जिसमें "लांग पाईल" फेब्रिक्स और टेरी फेब्रिक्स भी आते हैं, जो निटेड या क्रोचेटिड हों
168ख	6002	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हों, जिसमें इलास्टोमेरिक यार्न या रबर थ्रेड भार के हिसाब 5% या अधिक हो, उनसे भिन्न जो शीर्ष 6001 के अंतर्गत आते हैं
168ग	6003	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हो, उनसे भिन्न जो कि शीर्ष 6001 या 6002 के अंतर्गत आते हैं
168घ	6004	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक हो, जिनमें इलास्टोमेरिक यार्न या रबर थ्रेड भार का हिसाब 5% या अधिक हो, उनसे भिन्न जो शीर्ष 6001 के अंतर्गत आते हैं
168ड.	6005	वार्प निट फेब्रिक्स (जिसमें वे भी आते हैं जो गैलून निटिंग मशीन्स पर बने हों), उनसे भिन्न जो शीर्ष 6001से 6004तक में आते हों
168च	6006	अन्य निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स";

- (xvii) क्रम संख्या 169 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
"परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, निटेड या क्रोचेटिड";
- (xviii) क्रम संख्या 170 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमानके स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
"परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, निटेड या क्रोचेटिड न हों";
- (xix) क्रम संख्या 171 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (xx) क्रम संख्या 171क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"171क1	6301	कंबल और ट्रैवलिंग रग्स
171क2	6302	बेडलिनन, टेबल लिनन, टायलेट लिनन और किचन लिनन
171क3	6303	कर्टैन्स (ड्रैप्स समेत) और इंटरियर ब्लाइंड्स; कर्टेन या बेड वेलेन्सेंस
171क4	6304	फर्निशिंग की अन्य वस्तुएं, उनसे भिन्न जो शीर्ष 9404 के अंतर्गत आते हैं
171क5	6305	बोरे और थैले, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो
171क6	6306	तिरपाल, शामियाना और सनब्लाईन्ड्स; तंबू ; नावों के लिए पाल, सेलबोर्ड या लैंडक्राफ्ट; शिविर के सामान
171क7	6307	अन्य विनिर्मित वस्तुएं, ड्रैस पेटनर्स समेत
171क8	6308	सेट्स, जो कि वोवेन फेब्रिक्स या यार्न से बने हों, चाहे इनमें सहायक सामग्री लगी हो या नहीं, जो कि गलीचे, टेपेस्ट्री, कशीदाकारी टेबल क्लॉथ या सर्वियेट या इसी प्रकार के कपड़े की वस्तुओं के बनाने के लिए प्रयोग में आते हों, जिनको खुदरा बिक्री के लिए पैकिंग्स में रखा गया हो
171क9	6309	पहने गए कपड़े और पहनी गई अन्य वस्तुएं
171क10	6310	प्रयोग में लाए गए या नए रैग्स, स्क्रेप्स, ट्वाईन, कोर्डेज, रस्सियां और केबल्स तथा ट्वाईन, कोर्डेज, रस्सियां और केबल्स की प्रयोग की हुई वस्तुएं, टेक्सेटाईल्स सामग्री के";
"171क11	64	फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक हो।";

ग. अनुसूची III – 9% में, –

(झ) क्रम संख्या 159, 160, 161, 162 एवं 163 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

2. यह अधिसूचना, प्रथम जनवरी, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th December, 2021

No. 68/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017-

a. in Schedule I – 2.5%, -

(i) serial number 203, 207, 211, 216, 217, 218, 218B, 218C, 219A, 219AA, 219B, 220, 221, 222, 223, 224, 224A and 225 and entries thereagainst shall be omitted;

b. in Schedule II – 6%, -

(i) serial number 132A and entries thereagainst shall be omitted;

(ii) after serial number 132A and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“132AA	5007	Woven fabrics of silk or of silk waste.
132AB	5111	Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair.
132AC	5112	Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair.
132AD	5113	Woven fabrics of coarse animal hair or of horse hair.
132AE	5208	Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200g/m ² .
132AF	5209	Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200g/ m ² .
132AG	5210	Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibers, weighing not more than 200g/ m ² .
132AH	5211	Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibers, weighing more than 200g/ m ² .
132AI	5212	Other woven fabrics of cotton.
132AJ	5309	Woven fabrics of flax.
132AK	5310	Woven fabrics of jute or of other textile bast fibers of heading 5303.
132AL	5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibers; woven fabrics of paper yarn.”;

(iii) serial number 132B and entries thereagainst shall be omitted;

- (iv) afterserial number 132B and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“132BA	5401	Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale.
132BB	5402	Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex.
132BC	5403	Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex.
132BD	5404	Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm.
132BE	5405	Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm.
132BF	5406	Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale.
132BG	5407	Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404.
132BH	5408	Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5405.”;

- (v) serial number 132C and entries thereagainst shall be omitted;
- (vi) afterserial number 132C and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“132CA	5501	Synthetic filament tow.
132CB	5502	Artificial filament tow.
132CC	5503	Synthetic staple fibers, not carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CD	5504	Artificial staple fibers, not carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CE	5505	Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibers.
132CF	5506	Synthetic staple fibers, carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CG	5507	Artificial staple fibers, carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CH	5508	Sewing thread of man-made staple fibers, whether or not put up for retail sale.
132CI	5509	Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibers, not put up for retail sale.
132CJ	5510	Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibers, not put up for retail sale.
132CK	5511	Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibers, put up for retail sale.
132CL	5512	Woven fabrics of synthetic staple fibers, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibers.
132CM	5513	Woven fabrics of synthetic staple fibers, containing less than 85% by weight of such fibers, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/ m ² .

132CN	5514	Woven fabrics of synthetic staple fibers, containing less than 85% by weight of such fibers, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/ m ² .
132CO	5515	Other woven fabrics of synthetic staple fibers.
132CP	5516	Woven fabrics of artificial staple fibers.”;

- (vii) serial number 132D and entries thereagainst shall be omitted;
- (viii) against serial number 139, in column (3), for the existing entry, the entry “Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated or sheathed with rubber or plastics.” shall be substituted;
- (ix) after serial number 139 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“139A	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up of fishing nets and other made up nets, of textile materials.”;
-------	------	--

- (x) after serial number 146 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“146A	5801	Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806.”;
-------	------	--

- (xi) after serial number 151 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“151A	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs).”;
-------	------	---

- (xii) against serial number 154, in column (3), for the existing entry, the entry “Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles.” shall be substituted;
- (xiii) against serial number 155, in column (3), for the existing entry, the entry “Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included.” shall be substituted;
- (xiv) against serial number 156, in column (3), for the existing entry, the entry “Embroidery in the piece, in strips or in motifs.” shall be substituted;
- (xv) against serial number 168, in column (3), for the words “this Chapter”, the word and the figure “Chapter 59” shall be substituted;
- (xvi) after serial number 168 and entries thereagainst, the following serial numbers and the entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“168A	6001	Pile fabrics, including “long pile” fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted.
168B	6002	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001.
168C	6003	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 6001 or 6002.
168D	6004	Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001.
168E	6005	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to 6004.
168F	6006	Other knitted or crocheted fabrics.”;

- (xvii) against serial number 169, in column (3), for the existing entry, the entry “Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted.” shall be substituted;
- (xviii) against serial number 170, in column (3), for the existing entry, the entry “Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted.” shall be substituted;

- (xix) serial number 171 and entries thereagainst shall be omitted;
- (xx) after serial number 171A and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

171A1	6301	Blankets and travelling rugs.
171A2	6302	Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen.
171A3	6303	Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances.
171A4	6304	Other furnishing articles, excluding those of heading 9404.
171A5	6305	Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods.
171A6	6306	Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods.
171A7	6307	Other made up articles, including dress patterns.
171A8	6308	Sets, consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale.
171A9	6309	Worn clothing and other worn articles.
171A10	6310	Used or new rags, scrap, twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials.
171A11	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair.”

c. in Schedule III – 9%, -

- (i) serial numbers 159, 160, 161, 162 and 163 and entries thereagainst shall be omitted.
2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218-2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2021 (PAUSA 8, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 दिसम्बर, 2021

संख्या 69/जीएसटी-2.—हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, तालिका में,—

(i) क्रम संख्या 3 के सामने,—

- (1) मद (iii) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष में, "संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी संस्था" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (2) मद (vi) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष में, "किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी संस्था" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएंगे;
- (3) मद (vii) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष में, "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी संस्था" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (4) मद (ix) और (x) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्षक में, "संघ राज्य क्षेत्र किसी स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी संस्था" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" शब्द को प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (5) मद (iii), (vi), (vii), (ix) और (x) के सामने, "शर्त" शीर्ष तथा खाना (5) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- (ii) क्रम संख्या 26 के सामने, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष में, मद (i) में, उप-मद (ख) में, "वस्त्र तथा वस्त्र उत्पाद" शब्दोंके पश्चात्, "उपरोक्त वस्त्र तथा वस्त्र उत्पादों की रंगाई या छपाई के माध्यम से सेवाओं को छोड़कर,"शब्द तथा चिह्न जोड़े जाएंगे।
2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th December, 2021

No. 69/GST-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

- (i) against serial number 3,-
- (1) in column (3),in the heading "Description of Service", in items (iii),(vi),(ix) and (x),for the words "Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;
 - (2) in column (3),in the heading "Description of Service", in item (vii),for the words "Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;
 - (3) in column (5),in the heading "Condition", the entries against items (iii),(vi),(vii),(ix) and (x), shall be omitted;
- (ii) against serial number 26,in column (3), in the heading "Description of Service",in item (i), in clause (b), after the words, numbers, figures and brackets "Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)" the words "except services by way of dyeing or printing of the said textile and textile products" shall be inserted.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218-2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2021 (PAUSA 8, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 दिसम्बर, 2021

संख्या 70/जीएसटी-2.—हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19)की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है,परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में,—

- (i) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष के नीचे, "या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 3क के सामने, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्षके नीचे "या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 15 के सामने, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष के नीचे, मद (ग) के बाद, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली और हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं को उपरोक्त मद (ख) और (ग) में दी गई कोई भी बात लागू नहीं होगी";

- (iv) क्रम संख्या 17 के सामने, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष के नीचे, मद (ड.) के बाद, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली और हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं को उपरोक्त मद (ड.) में दी गई कोई भी बात लागू नहीं होगी"।

2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th December, 2021

No. 70/GST-2.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.47/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the TABLE, -

- (i) against serial number 3, in column (3), in the heading “ Description of Services” , the words “or a Governmental authority or a Government Entity” shall be omitted;
- (ii) against serial number 3A, in column (3), in the heading “ Description of Services “, the words “or a Governmental authority or a Government Entity” shall be omitted;
- (iii) against serial number 15, in column (3), in the heading “ Description of Services “, after item (c), the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that nothing contained in items (b) and (c) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of Section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017).”;

- (iv) against serial number 17, in column (3), in the heading “ Description of Services “, after item (e), the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that nothing contained in item (e) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017).”

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of January, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218-2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2021 (PAUSA 8, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 दिसम्बर, 2021

संख्या 71/जीएसटी-2.—हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19)की धारा 9 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 52/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 52/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,—

- (i) मद (i) में, "और मोटर साइकिल" शब्दों के स्थान पर, "मोटर साइकिल, ओमनिबस या अन्य मोटर यान" चिह्न और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) मद(iii) के बाद, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—
"(iv) विशिष्ट परिसरों में अवस्थित रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंट्स आदि द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाओं से भिन्न रेस्तरां सेवाकी प्रदाय।"
2. स्पष्टीकरण में,—
 - (1) मद (ख) में, "और मोटर साइकिल" का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)की धारा 2 के खंड (22), (25) और (26) में दिया गया है "शब्दों, कोष्ठकों और अंको के स्थान पर, "मोटर साइकिल," "मोटरयान" और "ओमनिबस" का वही अर्थ होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 2 के क्रमशः खंड (22), (25), (27), (28) और (29) में दिया गया है", शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 - (2) मद (ख) के बाद, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—
"(ग) "विशिष्ट परिसर" से अभिप्राय है, ऐसे परिसर जो होटल आवास सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें ठहरने के लिए एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समतुल्य हो।"
2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th December, 2021

No. 71/GST-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.52/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.52/ST-2, dated the 30th June, 2017-

(i) in item (i), for the words “and motor cycle”, the words and sign “, motor cycle, omnibus or any other motor vehicle;” shall be substituted;

(ii) after item (iii), the following item shall be inserted, namely:-

“(iv) supply of restaurant service other than the services supplied by restaurant, eating joints etc. located at specified premises.”

2. In the said notification, in Explanation, -

(i) in item (b), for the words, brackets, numbers and figures “and “motor cycle” shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Central Act 59 of 1988).”, the words, brackets, numbers and figures, “, motor cycle, motor vehicle and omnibus shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25), (27), (28) and (29) of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Central Act 59 of 1988).” shall be substituted;

(ii) after item (b), the following item shall be inserted namely, -

“(c) specified premises means premises providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent.”

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218-2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2021 (PAUSA 8, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 दिसम्बर, 2021

संख्या 72/जीएसटी-2.—हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवाकर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवाकर (दसवां संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम प्रथम दिसंबर, 2021 से लागू हुए समझे जाएंगे।
2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में, —
 - (क) शीर्ष में, "किया गया भुगतान" शब्दों के पश्चात्, "या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;
 - (ख) मद 3 के सामने, खाना (3) में, "लेखापरीक्षा, अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)", शब्दों के स्थान पर, "लेखापरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, संवीक्षा, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, मिलान न होना (प्ररूप जीएसटीआर-1 और प्ररूप जीएसटीआर-3ख), मिलान न होना (प्ररूप जीएसटीआर-2ख और प्ररूपजीएसटीआर-3ख), अन्य (विनिर्दिष्ट करें)", शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
 - (ग) मद 5 के सामने, खाना (1) में, "यदि इसके जारी होने के 30 दिन के भीतर भुगतान किया गया है", शब्द और अंकों के पश्चात्, ",संवीक्षा, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, संपरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)", चिह्न शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(4286)

(घ) क्रम संख्या 7 के नीचे, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“क्रम संख्या	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (पीओएस)	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि लागू हो	फीस	अन्य	कुल	उपयोग किए गए खाते (नकद/प्रत्यय)	विकलन प्रविष्टि संख्या	विकलन प्रविष्टि की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												।”।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th December, 2021

No. 72/GST-2.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st December, 2021.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, in **FORM GST DRC-03**, —
 - (a) in the heading, after the words “or statement”, the words, letters and figures “or intimation of tax ascertained through **FORM GST DRC-01A**” shall be inserted;
 - (b) against item 3, in column (3), for the word and letters “Audit, investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, others (specify)”, the words, letters, figures and brackets “Audit, inspection or investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, scrutiny, intimation of tax ascertained through **FORM GST DRC-01A**, Mismatch (Form GSTR-1 and Form GSTR-3B), Mismatch (Form GSTR-2B and Form GSTR-3B), others (specify)” shall be substituted;
 - (c) against item 5, in column (1), after the word and figures “within 30 days of its issue”, the words, letters, figures and brackets “, scrutiny, intimation of tax ascertained through Form GST DRC-01A, audit, inspection or investigation, others (specify)” shall be inserted;
 - (d) for the table, under serial number 7, for the table, the following table shall be substituted, namely:-

“Serial Number	Tax Period	Act	Place of supply (POS)	Tax/Cess	Interest	Penalty, if applicable	Fee	Others	Total	Ledger utilised (Cash / Credit)	Debit entry no.	Date of debit entry
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												.”.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 220-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 31, 2021 (PAUSA 10, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 दिसंबर, 2021

संख्या 73/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जनवरी, 2022 के प्रथम दिन को ऐसी तिथि के रूप में नियत करते हैं, जिससे हरियाणा माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2021 के नियम 2, नियम 3, नियम 6 के खंड (i) और नियम 7 के उपबंध लागू होंगे।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st December, 2021

No. 73/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby appoints the 1st day of January 2022, as the date from which the provisions of rule 2, rule 3, clause (i) of rule 6 and rule 7 of the Haryana Goods and Services Tax (Eighth amendment) Rules, 2021 shall come into force.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9437—C.S.—H.G.P., Pkl.

(4350)



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 220-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 31, 2021 (PAUSA 10, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 दिसंबर, 2021

संख्या 74/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 27) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जनवरी, 2022 के प्रथम दिन को ऐसी तिथि के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2, 3 और धारा 7 से 15 के उपबंध लागू होंगे।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st December, 2021

No. 74/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2021 (27 of 2021), the Governor of Haryana hereby appoints the 1st day of January, 2022, as the date on which the provisions of Sections 2, 3 and Sections 7 to 15 of the said Act shall come into force.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9437—C.S.—H.G.P., Pkl.

(4351)



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 2-2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 4, 2022 (PAUSA 14, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 जनवरी, 2022

संख्या 01/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

क. अनुसूची I-2.5% में, -

- (i) क्रम संख्या 2 के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (ii) क्रम संख्या 9 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "दही; क्रीम, केफिर और अन्य किण्वित या अम्लीकृत दूध और क्रीम, चाहे सांद्रित हो या नहीं या जिसमें चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या कोई स्वाद या फल, नट्स या कोको मिलाया गया हो या नहीं" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (iii) क्रम संख्या 14 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "कीड़े और अन्य प्राणीजन्य अन्य खाद्य उत्पाद, जो अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल न हो" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (iv) क्रम संख्या 87 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "अन्य अवाष्पशील वनस्पतियां या माइक्रोबियल वसा और तेल (जोजोबा तेल सहित) और उनके अंश, चाहे परिष्कृत हों अथवा नहीं, किंतु रासायनिक रूप से संशोधित न किए गए हों" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (v) क्रम संख्या 107 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "तेल-केक और अन्य ठोस अवशेष, चाहे वह ग्राउन्डेड हो या नहीं या छरों के रूप में हों, जो वनस्पति या माइक्रोबियल वसा या तेल के निष्कर्षण से उत्पन्न होता है, शीर्षक 2304 या 2305 के अलावा तथा बिनौला तेल-केक के अलावा" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (vi) क्रम संख्या 127 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "डोलोमाइट, चाहे कैलसिंड या सिन्टर्ड हो या नहीं, जिसमें डोलोमाइट को मोटे तौर पर ट्रिम किया गया हो या केवल काटकर, आरी से या अन्यथा, एक आयताकार के ब्लॉक या स्लैब के (वर्गसहित) आकार के हों, 2518 10 डोलोमाइट, कैलसिंड या सिन्टर्ड न हो" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

- (vii) क्रम संख्या 186क और उसके सामने तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने तत्स्थानी प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"186क	3816	डोलोमाइट कुटाई मिश्रण
186ख	3826	हाई स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को प्रदाय किए गए बायो-डीजल";

- (viii) क्रम संख्या 232 के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "8419 12" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (ix) क्रम संख्या 244 और उससे सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"244	8802 या 8806	अन्य विमान (उदाहरण के लिए, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज) अनुसूची III में क्रम संख्या 383 में शामिल मदों को छोड़कर, व्यक्तिगत उपयोग के अलावा ";
------	--------------------	---

- (x) क्रम संख्या 245 के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "8807" और खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "शीर्ष 8802 या 8806 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद (अनुसूची III में क्रम संख्या 383 में शामिल मदों के पुर्जों को छोड़कर), के पुर्जे" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;
- (xi) क्रम संख्या 258 के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "9405" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी;

ख. अनुसूची II - 6% में,-

- (i) क्रम संख्या 15 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "अन्य नट्स, सूखे, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हों या नहीं, जैसे बादाम, हेजलनट्स या फिलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), चेस्टनट (कार्स्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), पाइन नट्स [सूखीअरीका नट्स से भिन्न]" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (ii) क्रम संख्या 25 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "पशु या माइक्रोबियल वसा और पशु या माइक्रोबियल तेल और उनके अंश, आंशिक रूप से या पूरी तरह से हाइड्रोजनीकृत, अंतर-एस्ट्रिफाइड, सी-एस्ट्रिफाइड या इलडिनाइज्ड, चाहे परिष्कृत है या नहीं, किन्तु आगे निर्मित नहीं हों" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (iii) क्रम संख्या 26 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "पशु वसा या माइक्रोबियल वसा या पशु तेल या माइक्रोबियल तेल, या इस अध्याय से विभिन्न पशु वसा या माइक्रोबियल वसा या पशु तेल या माइक्रोबियल तेल के अंश से बना खाद्य मिश्रण या निर्मितियाँ, शीर्षक 1516 के खाद्य वसा या तेल या उनके अंशों के अलावा" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (iv) क्रम संख्या 27 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "पशु या माइक्रोबियल वसा और पशु या माइक्रोबियल तेल और उनके अंश, उबला हुआ, ऑक्सीकृत, निर्जलित, सल्फरयुक्त, उड़ा, निर्वात या निष्क्रिय में गर्मी द्वारा बहुलकीकृत गैस या अन्यथा रासायनिक रूप से संशोधित, शीर्षक 1516 को छोड़कर; अखाद्य मिश्रण या पशु, वनस्पति या माइक्रोबियल वसा या तेल या इस अध्याय के विभिन्न वसा या तेलों के अंश, किंतु अन्य विनिर्दिष्ट न हों" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (v) क्रम संख्या 28 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "मांस, मांसावशिष्ट, रक्त या कीड़े के सासेज और वैसे ही उत्पाद; इन उत्पादों पर आधारित खाद्य निर्मितियाँ" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (vi) क्रम संख्या 29 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "अन्य निर्मित या परिरक्षित मांस, मांसावशिष्ट, रक्त या कीड़े" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (vii) क्रम संख्या 41 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "फलों या नट्स के रस (अंगूर सहित) और सब्जियों के रस, बिना किण्वित और अतिरिक्त स्प्राट युक्त नहीं, चाहे अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ मिलाया गया हो या नहीं" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (viii) क्रम संख्या 41 और उसके सामने तत्स्थानी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"41क	2009 89 90	टेंडरनारियल जल जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और,— (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में करवाई योग्य दवा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो (अनुबंध में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहाँ के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो)";
------	---------------	--

- (ix) क्रम संख्या 49 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 144 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "कालीन और अन्य कपड़ों के फर्श कवरिंग (टर्फ सहित), गुच्छेदार, चाहे बने बनाए हों अथवा नहीं" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (xi) क्रम संख्या 185क के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "7419 80 30" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (xii) क्रम संख्या 225 के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "9405" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (xiii) क्रम संख्या 236 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "पेंटिंग, ड्राइंग और पेस्टल, पूरी तरह से हाथ से निष्पादित, शीर्षक 4906 के ड्राइंग से भिन्न और हाथ से पेंट या हाथ से सजाए गए निर्मित वस्तुओं से भिन्न; कोलाजें, मोजाइकें और इसी तरह के सजावटी प्लाक" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

ग. अनुसूची III – 9% में, –

- (i) क्रम संख्या 26क से 26ठ और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"26क	2404 12 00	ऐसे उत्पाद जिनमें निकोटिन हो और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्तः श्वसन के लिए किया जाता हो
26ख	2404 91 00, 2404 92 00, 2404 99 00	मौखिक उपयोग या ट्रांसडर्मल उपयोग या मौखिक या ट्रांसडर्मल के अलावा लगाने के लिए, निकोटिन वाले उत्पाद और जिनका उपयोग तम्बाकू को खत्म करने के लिए किया जाता है
26ग	2515 12 20, 2515 12 90	मार्बल और ट्रॉवरटाईन, ब्लॉक से भिन्न
26घ	2516 12 00	ग्रेनाइट, ब्लॉक से भिन्न
26ङ	2601	लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स, भुना हुआ लौह पाइराइट सहित
26च	2602	मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स, फेरुजिनस मैंगनीज अयस्कों और कंसन्ट्रेट्स जिसमें 20% या उससे अधिक की मैंगनीज सामग्री हो, जिसकी सूखे वजन पर गणना की गई हो
26छ	2603	कॉपर अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26ज	2604	निकल अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26झ	2605	कोबाल्ट अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26ञ	2606	एल्युमिनियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26ट	2607	सीसा अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26ठ	2608	जिंक अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26ड	2609	टिन अयस्क और कंसन्ट्रेट्स
26ढ	2610	क्रोमियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स";

- (ii) क्रम संख्या 41 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 72 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "सुरक्षा फ्यूज; विस्फोट तार; आघात या विस्फोट कैप्स; इगनाइटर; इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (iv) क्रम संख्या 98 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"98क	3827	मीथेन, ईथेन या प्रोपेन के हलोजनयुक्त डेरिवेटिव युक्त मिश्रण, जो अन्य निर्दिष्ट या शामिल न हों";
------	------	---

- (v) क्रम संख्या 190क के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "कांच के आवरण (बल्ब और ट्यूब सहित), खुले और कांच के हिस्से, बिना फिटिंग के, बिजली के लैंप और प्रकाश स्रोतों के लिए, कैथोड रे ट्यूब या ऐसे अन्य उत्पादों" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (vi) क्रम संख्या 195 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "ग्लास फाइबर (कांच के ऊन सहित) और उससे बनी सामग्रियां (उदाहरण के लिए, यार्न, रोविंग, बुने हुए कपड़े)" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (vii) क्रम संख्या 317ख के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "वायु या वैक्यूम पंप, वायु या अन्य गैस कम्प्रेसर और पंखे; हवादार या पुनर्चक्रणहुड, जिनमें पंखे लगे हों, चाहे उनमें फिल्टर लगे हों या नहीं; तंग-गैस जैविक सुरक्षा अलमारियाँ, चाहे फिल्टर के साथ फिट हों या नहीं [साइकिल पंपों, अन्य हैंड पंपों और हवा के हिस्सों या वैक्यूम पंपों और साइकिल पंपों के कम्प्रेसर से भिन्न]" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (viii) क्रम संख्या 320 के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "8419 [8419 12 से भिन्न]" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (ix) क्रम संख्या 330 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "मशीनरी, जो निर्दिष्ट नहीं है या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं है, खाद्य या पेय की औद्योगिक तैयारी या निर्माण के लिए, पशु या स्थिर वनस्पति या माइक्रूबियल वसा या तेल के निष्कर्षण या तैयारी के लिए मशीनरी से भिन्न" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (x) क्रम संख्या 352 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "मशीन-टूल्स (प्रेस सहित) फोर्जिंग, हैमरिंग या डाई फोर्जिंग द्वारा वर्किंग मेटल के लिए (रोलिंग मिल्स को छोड़कर); मशीन-टूल्स (प्रेस, स्लिटिंग लाइन्स और कट-टू-लेंथ लाइन्स सहित) बेंडिंग, फोल्डिंग, स्ट्रैटनिंग, फ्लैटनिंग, शीयरिंग, पंचिंग, नॉचिंग या निबलिंग द्वारा वर्किंग मेटल के लिए (ड्रा-बेंच को छोड़कर); वर्किंग मेटल या मेटल कार्बाइड्स के लिए प्रेस, जो कि ऊपर निर्दिष्ट नहीं हैं" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (xi) क्रम संख्या 369ख और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"369ग	8485	एडिटिव मैनुफैक्चरिंग के लिए मशीनें";
-------	------	--------------------------------------

- (xii) क्रम संख्या 382 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"382क	8524	फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल, जिसमें टच-सेंसिटिव स्क्रीन शामिल हो या नहीं";
-------	------	--

- (xiii) क्रम संख्या 383 और उससे सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"383	8525या 8806 क्लोज्ड-सर्किट	टेलीविजन (सीसीटीवी), रेडियो-प्रसारण या टेलीविजन के लिए प्रसारण उपकरण, चाहे रिसेप्शन उपकरण या ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हो या नहीं; टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर जिसमें मानव रहित विमान के रूप में माल शामिल है जो 8806 के अंतर्गत आता है (रक्षा, पुलिस और अर्धसैनिक बलों, आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले दो-तरफा रेडियो (वॉकी टॉकी) के अलावा)";
------	----------------------------	--

- (xiv) क्रम संख्या 390 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "इलेक्ट्रिकल फिलामेंट या डिस्चार्ज लैंप जिसमें सीलबंद बीम लैंप यूनिट और अल्ट्रा-वायलेट या इन्फ्रा-रेड लैंप शामिल हैं; आर्क लैंप (प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों से भिन्न)" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;
- (xv) क्रम संख्या 392 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "सेमीकंडक्टर डिवाइसेस (उदाहरण के लिए, डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर आधारित ट्रांसड्यूसर); फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस; प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी), अन्य प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) के साथ संयोजन किया गया है या नहीं; माउंटेड पीजो-इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (xvi) क्रम संख्या 398 के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "8548 या 8549" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (xvii) क्रम संख्या 411ज के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "लेजर, लेजर डायोड से भिन्न; अन्य ऑप्टिकल उपकरण और यंत्र, जो निर्दिष्ट नहीं हैं या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं हैं" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (xviii) क्रम संख्या 413क के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "एक्स-रे या अल्फा, बीटा, गामा या अन्य आयनकारी विकिरणों के उपयोग पर आधारित उपकरण [चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के अलावा], जिसमें रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी उपकरण, एक्सरे ट्यूब और अन्य एक्स-रे जनरेटर, उच्च तनाव जनरेटर, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, 28 परीक्षाएं या उपचार टेबल, कुर्सियाँ और इसी तरह के सामान शामिल हैं" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (xix) क्रम संख्या 438क के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "ल्यूमिनेयर और लाइटिंग फिटिंग्स, जिसमें सर्चलाइट और स्पॉटलाइट और उसके हिस्से शामिल हैं, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रबुद्ध संकेत, प्रबुद्ध नेमप्लेट और इसी तरह, जिसमें स्थायी रूप से तय किए गए प्रकाश स्रोत हैं, और उसके हिस्से जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं [केरोसिन प्रेशर लालटेन और उसके हिस्सों से भिन्न गैस मेंटलय हरिकेन लालटेन, केरोसिन लैंप, पेट्रोमैक्स, ग्लास चिमनी, और उसके हिस्से एलईडी लैंप सहित एलईडी लाइट या जुड़नार; एलईडी (प्रकाश) एमिटिंग डायोड] ज़ाइवर और एमसीपीसीबी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड)]" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (xx) क्रम संख्या 441क के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "ट्रैवलिंग सर्कस और ट्रैवलिंग मेनेजरीज; एम्यूजमेंट पार्क राइड्स एंड वाटर पार्ट एम्यूजमेंट; फेयरग्राउंड एम्यूजमेंट, जिसमें शूटिंग गैलरी शामिल हैं; ट्रैवलिंग थिएटर" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (xxi) क्रम संख्या 449ख के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "वैक्यूम फ्लास्क और अन्य वैक्यूम वेसल, पूर्ण; कांच के अंदरूनी हिस्सों से भिन्न उसके हिस्से" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;

घ. अनुसूची IV – 14% में, –

- (i) क्रम संख्या 15 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"15क	2404 11 00	ऐसे उत्पाद जिनमें तम्बाकू या पुर्नगठित तम्बाकू हो और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्तः श्वसन के लिए किया जाता हो
15ख	2404 19 00	ऐसे उत्पाद जिनमें तम्बाकू या निकोटिन सब्सीट्यूट्स हों और जिसका उपयोग बिना जलाए अन्तः श्वसन के लिए किया जाता हो";

- (ii) क्रम संख्या 176 के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "8802 या 8806" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।

2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 4th January, 2022

No. 01/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 and Sub-section (5) of Section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

A. in Schedule I – 2.5%, -

A. in Schedule I – 2.5%, -

- (i) against serial number 2, for the existing entry in column (2), the entry “0303,0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309” shall be substituted;
- (ii) against serial number 9, for the existing entry in column (3), the entry “Yoghurt; Cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavored or containing added fruit, nuts or cocoa” shall be substituted;
- (iii) against serial number 14, for the existing entry in column (3), the entry “Insects and other edible products of animal origin, not elsewhere specified or included” shall be substituted;
- (iv) against serial number 87, for the existing entry in column (3), the entry “Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.” shall be substituted;
- (v) against serial number 107, for the existing entry in column (3), the entry “Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable or microbial fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 other than cottonseed oil cake” shall be substituted;
- (vi) against serial number 127, for the existing entry in column (3), the entry "Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; 2518 10 dolomite, Not calcined or sintered", shall be substituted;
- (vii) for serial number 186A and the corresponding entries thereagainst, the following Serial Numbers and the corresponding entries thereagainst shall be substituted, namely: -

“186A	3816	Dolomite ramming mix
186B	3826	Bio-diesel supplied to Oil Marketing Companies for blending with High Speed Diesel”;

- (viii) against serial number 232, for the existing entry in column (2), the entry “8419 12” shall be substituted;
- (ix) for serial number 244 and the corresponding entries thereagainst, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“244	8802 or 8806	Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes) except the items covered in Sl. No. 383 in Schedule III, other than for personal use”;
------	-----------------	--

- (x) against serial number 245, for the existing entry in column (2), the entry “8807”, and for the entry in column (3), the entry “Parts of goods of heading 8802 or 8806 (except parts of items covered in serial number 383 in Schedule III)”, shall be substituted;
- (xi) against serial number 258, for the existing entry in column (2), the entry “9405”, shall be substituted;

B. in Schedule II – 6%, -

- (i) against serial number 15, for the existing entry in column (3), the entry “Other nuts, dried, whether or not shelled or peeled, such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Corylus spp.), Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Pine nuts [other than dried areca nuts]” shall be substituted;

- (ii) against serial number 25, for the existing entry in column (3), the entry “Animal or microbial fats and animal or microbial oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.” shall be substituted;
- (iii) against serial number 26, for the existing entry in column (3), the entry “Edible mixtures or preparations of animal fats or microbial fats or animal oils or microbial oils or of fractions of different animal fats or microbial fats or animal oils or microbial oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516” shall be substituted;
- (iv) against serial number 27, for the existing entry in column (3), the entry “Animal or microbial fats and animal or microbial oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal, vegetable or microbial fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified of included” shall be substituted;
- (v) against serial number 28, for the existing entry in column (3), the entry “Sausages and similar products, of meat, meat offal, blood or insects; food preparations based on these products” shall be substituted;
- (vi) against serial number 29, for the existing entry in column (3), the entry “Other prepared or preserved meat, meat offal, blood or insects” shall be substituted;
- (vii) against serial number 41, for the existing entry in column (3), the entry “Fruit or nut juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.” shall be substituted;
- (viii) after serial number 41 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“41A	2009 89 90	Tender coconut water put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]”;
------	---------------	--

- (ix) serial number 49 and the entries thereagainst shall be omitted;
- (x) against serial number 144, for the existing entry in column (3), the entry “Carpets and other textile floor coverings (including Turf), tufted, whether or not made up” shall be substituted;
- (xi) against serial number 185A, for the existing entry in column (2), the entry “7419 80 30” shall be substituted;
- (xii) against serial number 225, for the existing entry in column (2), the entry “9405” shall be substituted;
- (xiii) against serial number 236, for the existing entry in column (3), the entry “Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 4906 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages, mosaics and similar decorative plaques” shall be substituted;

C. in Schedule III – 9%, -

- (i) for serial numbers 26A to 26L and the corresponding entries thereagainst, the following Serial Numbers and the corresponding entries thereagainst shall be substituted, namely: -

“26A	2404 12 00	Products containing nicotine and intended for inhalation without combustion
26B	2404 91 00, 2404 92 00, 2404 99 00	Products for oral application or transdermal application or for application otherwise than orally or transdermally, containing nicotine and intended to assist tobacco use cessation
26C	2515 12 20, 2515 12 90	Marble and travertine, other than blocks
26D	2516 12 00	Granite, other than blocks
26E	2601	Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites

26F	2602	Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.
26G	2603	Copper ores and concentrates
26H	2604	Nickel ores and concentrates
26I	2605	Cobalt ores and concentrates
26J	2606	Aluminium ores and concentrates
26K	2607	Lead ores and concentrates
26L	2608	Zinc ores and concentrates
26M	2609	Tin ores and concentrates
26N	2610	Chromium ores and concentrates”;

- (ii) serial number 41 and the entries thereagainst shall be omitted;
- (iii) against serial number 72, for the existing entry in column (3), the entry “Safety Fuses; Detonating Cords; Percussion or Detonating Caps; Igniters; Electric Detonators”, shall be substituted;
- (iv) after serial number 98 and the entries thereagainst, the following Serial Number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“98A	3827	Mixtures containing halogenated derivatives of Methane, Ethane or Propane, not elsewhere specified or included”;
------	------	--

- (v) against serial number 190A, for the existing entry in column (3), the entry “Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps and light sources, cathode ray tube or the like”, shall be substituted;
- (vi) against serial number 195, for the existing entry in column (3), the entry “Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, rovings, woven fabrics)”, shall be substituted;
- (vii) against serial number 317B, for the existing entry in column (3), the entry “Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters; Gas-tight biological safety cabinets, whether or not fitted with filters [other than bicycle pumps, other hand pumps and parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps]”, shall be substituted;
- (viii) against serial number 320, for the existing entry in column (2), the entry “8419 [other than 8419 12]”, shall be substituted;
- (ix) against serial number 330, for the existing entry in column (3), the entry “Machinery, not specified or included elsewhere in this Chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable or microbial fats or oils”, shall be substituted;
- (x) against serial number 352, for the existing entry in column (3), the entry "Machine-Tools (Including Presses) For Working Metal by Forging, Hammering or Die Forging (Excluding Rolling Mills); Machine-Tools (Including Presses, Slitting Lines and Cut-To-Length Lines) For Working Metal by Bending, Folding, Straightening, Flattening, Shearing, Punching, Notching or Nibbling (Excluding Draw-Benches); Presses for Working Metal or Metal Carbides, Not Specified Above", shall be substituted;
- (xi) after serial number 369B and entries thereagainst, the following Serial Number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“369C	8485	Machines for Additive Manufacturing”;
-------	------	---------------------------------------

- (xii) after serial number 382 and entries thereagainst, the following Serial Number and entries shall be inserted, namely: -

“382A	8524	Flat Panel Display Modules, Whether or Not Incorporating Touch-Sensitive Screens”;
-------	------	--

- (xiii) For serial number 383 and the corresponding entries thereagainst, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -

“383	8525 or 8806	Closed-circuit television (CCTV), transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders including goods in the form of unmanned aircraft falling under 8806 [other than two-way radio (Walkie talkie) used by defence, police and paramilitary forces, etc.]”;
------	--------------------	--

- (xiv) against serial number 390, for the existing entry in column (3), the entry “Electrical Filament or discharge lamps including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; arc lamps [other than Light-Emitting Diode (LED) Light Sources]”, shall be substituted;
- (xv) against serial number 392, for the existing entry in column (3), the entry “Semiconductor Devices (for example, Diodes, Transistors, Semiconductor Based Transducers); Photosensitive Semiconductor devices; Light-Emitting Diodes (LED), whether or not assembled with other Light-Emitting Diodes (LED); Mounted Piezo-Electric crystals”, shall be substituted;
- (xvi) against serial number 398, for the existing entry in column (2), the entry “8548 or 8549”, shall be substituted;
- (xvii) against serial number 411H, for the existing entry in column (3), the entry "Lasers, other than Laser Diodes; other Optical Appliances and Instruments, not specified or included elsewhere in this Chapter", shall be substituted;
- (xviii) against serial number 413A, for the existing entry in column (3), the entry "Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta, gamma or other ionizing radiations [other than those for medical, surgical, dental or veterinary uses], including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, 28 examinations or treatment tables, chairs and the like", shall be substituted;
- (xix) against serial number 438A, for the existing entry in column (3), the entry "Luminaires and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included [other than kerosene pressure lantern and parts thereof including gas mantles; hurricane lanterns, kerosene lamp, petromax, glass chimney, and parts thereof; LED lights or fixtures including LED lamps; LED (light emitting diode) driver and MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board)]", shall be substituted;
- (xx) against serial number 441A, for the existing entry in column (3), the entry "Travelling Circuses and Travelling Menageries; Amusement Park Rides and Water Part Amusements; Fairground Amusements, including Shooting Galleries; Travelling Theatres", shall be substituted;
- (xxi) against serial number 449B, for the existing entry in column (3), the entry "Vacuum flasks and other vacuum vessels, Complete; parts thereof other than glass inners", shall be substituted;

D. in Schedule IV – 14%, -

- (i) after serial number 15 and the entries thereagainst, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“15A	2404 11 00	Products containing tobacco or reconstituted tobacco and intended for inhalation without combustion
15B	2404 19 00	Products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion”;

- (ii) against serial number 176, for the existing entry in column (2), the entry “8802 or 8806” shall be substituted;

2. This notification shall come into force with effect from 1st January, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 2-2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 4, 2022 (PAUSA 14, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 जनवरी, 2022

संख्या 02/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, अनुसूची में,-

- (i) क्रम संख्या 22 के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी,
- (ii) क्रम संख्या 43 ख के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "सब्जियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गयी हो, लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;
- (iii) क्रम संख्या 49 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, ताजे, जैसे बादाम, हेजलनट्स या फिलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), अखरोट, चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), अरीका नट्स, पाइन नट्स ताजे, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हो या नहीं" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।
- (iv) क्रम संख्या 97 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"97क	2009 89 90	टेंडर नारियल जल, उनसे भिन्न जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हैं और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो या जिस पर किसी विधि के न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो (अनुबंध 1 में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहाँ के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो)";
------	------------	--

- (v) क्रम संख्या 101 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जायेगा।

- (vi) क्रम संख्या 141 के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान में प्रविष्टि के स्थान पर, "8807" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 4th January, 2022

No. 02/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Schedule,-

- (i) against serial number 22, for the existing entry in column (2), the entry "0303, 0304, 0305, 0306, 0307,0308,0309" shall be substituted;
- (ii) against serial number 43B, in column (3), for the existing entry, the entry "Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption" shall be substituted;
- (iii) against serial number 49, in column (3), for the existing entry, the entry "Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Corylus spp.), walnuts, Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled" shall be substituted;
- (iv) after serial number 97 and entries there against, the following serial number and entries there against shall be inserted, namely: -

"97A	2009 89 90	Tender coconut water other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE I]";
------	---------------	---

- (v) serial number 101 and the entries there against shall be omitted;
- (vi) against serial number 141, for the existing entry in column (2), the entry "8807" shall be substituted;
2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 2-2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 4, 2022 (PAUSA 14, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 जनवरी, 2022

संख्या 03/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 71/जीएसटी-2, दिनांक 27 जुलाई, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 71/जीएसटी-2, दिनांक 27 जुलाई, 2018 में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 4 के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "4414" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी; तथा
 - (ii) क्रम संख्या 29 के सामने, खाना (2) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "7419 80" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी।
2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 4th January, 2022

No. 03/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 71/GST-2, dated the 27th July, 2018, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 71/GST-2, dated the 27th July, 2018, in the Table,-

- (i) against serial number 4, for the existing entry in column (2), the entry “4414” shall be substituted;
 - (ii) against serial number 29, for the existing entry in column (2), the entry “7419 80” shall be substituted;
2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 11-2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 18, 2022 (PAUSA 28, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जनवरी, 2022

संख्या 04/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 68/जीएसटी-2, दिनांक 29 दिसंबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में,-

- (क) अनुसूची I - 2.5% में, क्रम संख्या 225 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ख) अनुसूची I - 6% में, क्रम संख्या 171 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"171 क1

64

फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रूपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो।"

2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2022 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th January, 2022

No. 04/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of Section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, and in supersession of Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 68/GST-2, dated the 29th December, 2021, hereby makes the following further amendments in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:—

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table,—

- (a) in Schedule I – 2.5%, serial number 225 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) in Schedule II – 6%, after serial number 171 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

“171A1	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair.”
--------	----	---

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

ANURAG RASTOGI,
 Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
 Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 11-2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 18, 2022 (PAUSA 28, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जनवरी, 2022

संख्या 05/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 69/जीएसटी-2, दिनांक 29 दिसंबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, तालिका में क्रम संख्या 3 के सामने,—

- (1) मद (iii) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष में, "संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी संस्था" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (2) मद (vi) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष में, "किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी संस्था" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (3) मद (vii) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्ष में, "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी संस्था" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (4) मद (ix) और (x) में, खाना (3) में, 'सेवा का वर्णन' शीर्षक में, "संघ राज्य क्षेत्र किसी स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी संस्था" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (5) मद (iii), (vi), (vii), (ix) और (x) के सामने, "शर्त" शीर्ष तथा खाना (5) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना प्रथम जनवरी, 2022 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th January, 2022

No. 05/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 5, sub-section (1), of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, and in supersession in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 69/GST-2, dated the 29th December, 2021, hereby makes the following further amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:—

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table,—

- (1) in column (3), in the heading "Description of Service", in items (iii), (vi), (ix) and (x), for the words "Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;
 - (2) in column (3), in the heading "Description of Service", in item (vii), for the words "Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;
 - (3) in column (5), in the heading "Condition", the entries against items (iii), (vi), (vii), (ix) and (x), shall be omitted.
2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 20-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2022 (MAGHA 13, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 फरवरी, 2022

संख्या 06/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाये, ये नियम 29 दिसंबर, 2022 से लागू हुए समझे जाएंगे।
2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 36 में, उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-
 - (4) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, ऐसे बीजको या नामे नोट, जिनके ब्यौरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन दिए जाने अपेक्षित हो, के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय तब तक प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि-
 - (क) ऐसे बीजको या नामे नोट के ब्यौरे प्रदायकर्ता द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में बाह्य प्रदाय की विवरण में नहीं दिए गए हों या ऐसे बीजको को प्रस्तुत करने की सुविधा का प्रयोग न किया गया हो; और
 - (ख) ऐसे बीजको या नामे नोट के ब्यौरे नियम 60 के उपनियम (7) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-2ख में पंजीकृत व्यक्ति को संसूचित नहीं किए हों।";
3. उक्त नियमों में, नियम 80 में, -
 - (क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए, उक्त वार्षिक विवरणी 28 फरवरी, 2022 को या से पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।";
 - (ख) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3क) उपनियम (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए, उक्त स्व-प्रमाणित समाधान विवरण, 28 फरवरी, 2022 को या से पूर्व उक्त वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 95 में, उपनियम (3) में, खंड (ग) में,—

(i) अन्त में, विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) बाद में, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा तथा प्रथम अप्रैल, 2021 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु जहां आवेदक की विशिष्ट पहचान संख्या, कर बीजक में उल्लिखित नहीं है तो ऐसे बीजक पर आवेदक द्वारा संदाय कर का प्रतिदाय केवल तभी प्राप्त किया जाएगा, यदि बीजक की प्रति आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई है और प्ररूप जीएसटीआरएफडी-10 में प्रतिदाय आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।”

5. उक्त नियमों में, नियम 142 में,—

(क) उपनियम (3) में “माल और प्रवहण को निरुद्ध करने या जब्त करने के चौदह दिन” शब्दों के स्थान पर, “धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए नोटिस के 7 दिन के भीतर किंतु उक्त उपधारा (3) के अधीन आदेश के जारी करने से पूर्व” शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे तथा;

(ख) उपनियम (5) में, “कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य कर, ब्याज और शास्ति” शब्दों के स्थान पर “संबंधित व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य कर, ब्याज और शास्ति, जैसी भी स्थिति हो,” शब्दों को प्रतिस्थापित किये जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 144 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा तथा प्रथम जनवरी, 2022 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

“144क. अभिवहन में निरुद्ध या जब्त माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्ति की वसूली.—(1) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उक्त धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण के बाजार मूल्य की सूची तैयार करके और उसका प्राकलन करके इस प्रकार निरुद्ध या जब्त किए गए माल या प्रवहण के विक्रय या निपटान के लिए अग्रसर होगा :

परन्तु जहां निरुद्ध या जब्त माल की प्रकृति नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकता है।

(2) उक्त माल या प्रवहण का विक्रय नीलामी, जिसमें ई-नीलामी भी शामिल है, के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए विक्रय किए जाने वाले माल या प्रवहण और विक्रय के प्रयोजन को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10 में नोटिस जारी किया जाएगा :

परन्तु जहां उक्त माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी, उपधारा (1) में वर्णित समयावधि के पश्चात्, किंतु इस उपनियम के अधीन नोटिस जारी किए जाने से पहले, धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति की राशि, जिसमें ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा और प्रबंधन पर उपगत कोई व्यय भी शामिल है, का भुगतान करता है, तो समुचित अधिकारी, ऐसे माल या प्रवहण की नीलामी प्रक्रिया को रद्द करेगा और ऐसे माल या प्रवहण को निर्मुक्त करेगा।

(3) बोली प्रस्तुत किए जाने का अंतिम दिन या नीलामी की तिथि, उपनियम (2) में निर्दिष्ट नोटिस के जारी किए जाने की तिथि से पन्द्रह दिन से पहले की नहीं होगी :

परन्तु जहां निरुद्ध या जब्त माल की प्रकृति नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकता है।

(4) समुचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने हेतु ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तुत किए जाने वाले पूर्व बोली निक्षेप की राशि को विनिर्दिष्ट कर सकता है, जो, यथास्थिति, असफल बोली लगाने वालों को वापस की जा सकती है, उस दशा में समपहृत की जा सकती है, जब सफल बोली लगाने वाला पूरी राशि का भुगतान करने में असफल रहता है।

(5) समुचित अधिकारी, नीलामी की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर भुगतान करने की अपेक्षा करते हुए सफल बोली लगाने वाले को, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-11 में नोटिस जारी करेगा:

परन्तु जहां निरुद्ध या जब्त माल की प्रकृति नाशवान या परिसंकटमय है या समय के बीतने के साथ-साथ उसके मूल्य में अवक्षयण होने की संभावना है, तो वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा कम किया जा सकता है।

(6) समुचित अधिकारी, बोली की पूर्ण राशि का भुगतान किए जाने पर, उक्त माल या प्रवहण का स्वामित्व और कब्जा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा और प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12 में प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी, वहां प्रक्रिया को रद्द करेगा और पुनः नीलामी के लिए अग्रसर होगा, जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या पर्याप्त सहभागिता की कमी के कारण या निम्न बोलियों के कारण नीलामी को अप्रतिस्पर्धात्मक समझा जाता है ।

(8) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अपील दायर की गई है, वहां इस नियम के अधीन अभिवहन में निरुद्ध या जब्त माल या प्रवहण के विक्रय द्वारा शास्त्र की वसूली के लिए कार्यवाहियों पर रोक लगाई गई समझी जाएगी:

परंतु यह उपनियम नाशवान या परिसंकटमय प्रकृति के माल के संबंध में लागू नहीं होगा।”।

7. उक्त नियमों में, नियम 154 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

“154.(1) माल या प्रवहण और चल या अचल संपत्ति के विक्रय की प्रक्रियाओं का निपटान.- व्यतिक्रमी से शोध्यों की वसूली के लिए या धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन भुगतान योग्य शास्त्र की वसूली के लिए, माल या प्रवहण, चल या अचल संपत्ति के विक्रय से इस प्रकार वसूल की गई राशि,-

- (क) पहले, वसूली प्रक्रिया की प्रशासनिक लागत के लिए विनियोजित की जाएगी ;
- (ख) इसके बाद, धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन वसूल की जाने वाली राशि या उसके अधीन भुगतान योग्य शास्त्र के भुगतान के लिए विनियोजित की जाएगी, जैसी भी स्थिति हो;
- (ग) इसके बाद, इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यतिक्रमी से शोध्य किसी अन्य राशि के लिए विनियोजित की जाएगी ; और
- (घ) अतिशेष, यदि कोई हो, जैसी भी स्थिति हो, माल या प्रवहण के स्वामी के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा किया जाएगा, यदि व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, और जहां उक्त व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है, तो उक्त राशि संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) के खंड (घ) के अनुसार, जहां ऐसे माल या प्रवहण के विक्रय की तिथि से छह मास की अवधि या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो समुचित अधिकारी अनुज्ञात करे, संबंधित व्यक्ति को विक्रय आगमों का अतिशेष का भुगतान करना संभव नहीं है, तो विक्रय आगमों का ऐसा अतिशेष निधि में जमा किया जाएगा।”।

8. उक्त नियमों में, नियम 159 में,-

- (क) उपनियम (2) में,-
 - (अ) “कुर्की के आदेश की प्रति” शब्दों के पश्चात्, “प्ररूप जीएसटीडीआरसी-22 में” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से रखे गए समझे जाएंगे;
 - (आ) “जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा।” शब्दों और चिह्न के पश्चात् “और ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को भी भेजी जाएगी, जिसकी संपत्ति धारा 83 के अधीन कुर्की की गई है।” शब्द, चिह्न और अंक रखे जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से रखे गए समझे जाएंगे।
- (ख) उपनियम (3) में,-
 - (अ) “और यदि कराधेय व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर, “और यदि व्यक्ति, जिसकी संपत्ति कुर्की की गई है” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित गए समझे जाएंगे;
 - (आ) “कराधेय व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे व्यक्ति” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित गए समझे जाएंगे;
- (ग) उपनियम (4) में, दो स्थानों पर आने वाले “कराधेय व्यक्ति” शब्दों के स्थानों पर, “ऐसे व्यक्ति” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
- (घ) उपनियम (5) में, “कुर्की के सात दिवसों के भीतर, उपनियम (1) के अधीन इस प्रभाव की एक आपत्ति फाइल कर सकेगा” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीडीआरसी-22क में एक आपत्ति फाइल कर सकेगा” शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, "प्ररूप जीएसटीडीआरसी-10" के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10

[देखिए नियम 144 (2) और 144क]

अधिनियम की धारा 79(1) (ख) या धारा 129(6) के अधीन नीलामी के लिए नोटिस

मांग आदेश संख्या

तिथि:

अवधि :

चूंकि, मेरे द्वारा आदेश.....रुपए और उस पर ब्याज पर की वसूली के लिए तथा धारा 79 के उपबंधों के अनुसार वसूली प्रक्रिया पर उपगत अनुज्ञेय व्यय के लिए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए कुर्क या करस्थम माल के विक्रय के लिए किया गया है ।

या

चूंकि, धारा 129 के अधीन निरूद्ध या जब्त माल या प्रवहण धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन संदेय.....रुपए की शास्ति की वसूली तथा ऐसे माल या प्रवहण की सुरक्षित अभिरक्षा में उपगत व्यय तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए धारा 129 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार विक्रय या निपटान के लिए दायी है ।

विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा होगा और माल तथा/या प्रवहण अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाटों में विक्रय के लिए रखा जाएगा। विक्रय व्यतिक्रमी का अधिकार हक और हित होगा। और उक्त संपत्तियों से संलग्न दायित्व और दावे, जहां तक उन्हें अभिनिश्चित किया गया है वो संपत्तियां है जिन्हें प्रत्येक लाट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

नीलामी तिथि..... को.....बजे आयोजित की जाएगी ।

प्रत्येक लाट का मुल्य., विक्रय के समय या समुचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशानुसार भुगतान किया जाएगा और भुगतान के व्यतिक्रम में माल और/या प्रवहण, नीलामी और पुनः विक्रित के लिए पुनः रखा जाएगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	माल या प्रवहण का विवरण	मात्रा
1	2	3

स्थान: हस्ताक्षर

तिथि: नाम:

पदनाम:” ।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-11 में,-

(क) "देखिए नियम 144 (5) और 147 (12)" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "देखिए नियम 144 (5), 144क और 147 (12)" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे और प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) "माल" शब्द के स्थान पर "माल या प्रवहण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

11. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12 में,-

(क) "नियम 144 (5) और 147 (12) देखिए" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "नियम 144 (5), 144क और 147 (12) देखिए" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) "माल" शब्दों, के स्थान जहां कही भी आते हैं "माल या प्रवहण" शब्द" प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ग) "धारा 79 (1) (ख)/(घ) के उपबंधों" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के पश्चात् "या धारा 129 (6)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से रखे गए समझे जाएंगे।

12. उक्त नियमों में, "प्ररूप जीएसटीडीआरसी-22" के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22

[देखिए नियम 159 (1)]

संदर्भ संख्या.:

तिथि:

सेवा में

नाम.....

पता.....

(बैंक/डाक घर/वित्तीय संस्था/अचल संपत्ति का पंजीकरण करने वाला प्राधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/अन्य सुसंगत प्राधिकारी)

धारा 83 के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की

यह सूचित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(नाम) जिनका(पता) पर कारबार का मुख्य स्थान है जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या.....(जीएसटीआईएन/आईडी), पैन रजिस्ट्रीकृत कराधेय है।

या

यह सूचित किया जाता है कि श्री.....(नाम) निवासी.....(पता) जिनकी पैन संख्या.....और/या आधार संख्या.....है, धारा 122 की उप-धारा (1क) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति है।

उक्त अधिनियम की धारा.....के अधीन उक्त व्यक्ति पर शोध कर या किसी अन्य राशि को अवधारित करने के लिए पूर्वोक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं। विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मेरी जानकारी में यह आया है कि उक्त व्यक्ति का -

<<बचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता आपके बैंक/डाक घर/वित्तीय संस्था में है जिसका <<खाता संख्या>>..... है।

या

.....पर अवस्थित संपत्ति की संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति>>।

या

यान संख्या..... <<वर्णन>>

या

अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..... << (वर्णन) >>

राजस्व के हितों को संरक्षित करने के लिए तथा अधिनियम की धारा 83 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं..... (नाम),(पदनाम) पूर्वोक्त खाता/संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता हूँ।

इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना इसी पैन संख्या पर पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा प्रचालित उक्त खाते या किसी अन्य खाते से कोई भी विकलन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

या

ऊपर वर्णित संपत्ति इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना निपटान हेतु अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति (व्यक्ति का नाम) ।

13. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 में, -

- (क) "/अचल संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण", शब्दों के पश्चात्, "/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण/अन्य सुसंगत प्राधिकारी" चिह्न तथा शब्द रखे जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से रखे गए समझे जाएंगे;
- (ख) दो बार आने वाले, "ऐसी कोई कार्यवाहियां व्यक्तिक्रमी व्यक्ति के विरुद्ध लंबित नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "उक्त सम्पत्ति की ऐसी कुर्की अपेक्षित नहीं है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

14. उक्त नियमों में, प्ररूप एपीएल-01 में, प्रविष्टि संख्या 15 में, खंड (क) के नीचे सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:-

विशिष्टियां		केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	कुल राशि	
(क) स्वीकृत राशि	कर/उपकर					< योग>	< योग>
	ब्याज					< योग>	
	शास्ति					< योग>	
	फीस					< योग>	
	अन्य प्रभार					< योग>	
(ख) पूर्व जमा (सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में विवादित कर/उपकर का 10 % किन्तु 25 करोड़ रुपए प्रत्येक से अधिक नहीं, या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपए और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं							
(ग) धारा 129 की उपधारा (3) के मामले में पूर्व जमा	शास्ति					<योग>"।	

15. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा तथा प्रथम जनवरी, 2022 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22क”

[देखे नियम 159 (5)]

संदर्भ संख्या

तिथि:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में आदेश की एआरएन संख्या

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

.....(अधिकारिता)

संपत्ति की अनंतिम कुर्की के विरुद्ध आक्षेप फाइल करने के लिए आवेदन

चूंकि, एआरएन संख्या.....द्वारा अधिनियम की धारा 83 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित संपत्ति की अनंतिम कुर्की के लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में आदेश जारी किया गया है ।

संदर्भ पहचान संख्या	
अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति	संपत्ति पहचान संख्या और अवस्थिति
अनंतिम रूप से कुर्क खाता	बचत/चालू/एफडी/आरडी/निक्षेप खाता संख्या
अनंतिम रूप से कुर्क यान	यान के ब्यौरे
कोई अन्य संपत्ति	ब्यौरे

2. हरियाणा माल और सेवा अधिनियम, 2017 के नियम 159 (5) के उपबंधों के अनुसार, मैं निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मेरा आक्षेप प्रस्तुत करता हूं ।

<<..... >>

<<.अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज..>>

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तथा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

नाम-

जीएसटीआईएन (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में) -

पैन और / या आधार संख्या (अन्य के मामलों में) -

स्थान -

तिथि -

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर” ।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 2nd February, 2022

No. 06/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2022.
(2) Save as otherwise provided, they shall be deemed to have come into force with effect from the 29th December, 2021.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules),—
 - (i) in rule 36, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 2022, namely: -
“(4) No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes the details of which are required to be furnished under sub-section (1) of section 37 unless,-
(a) the details of such invoices or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility; and
(b) the details of such invoices or debit notes have been communicated to the registered person in **FORM GSTR-2B** under sub-rule (7) of rule 60.”;
3. In the said rules, in rule 80,—
 - (a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
“(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), for the financial year 2020-2021, the said annual return shall be furnished on or before the twenty-eighth day of February, 2022.”;
 - (b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
“(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), for the financial year 2020-2021, the said self-certified reconciliation statement shall be furnished alongwith the said annual return on or before the twenty-eighth day of February, 2022.”;
4. In the said rules, in rule 95, in sub-rule (3), after clause (c),-
 - (i) for existing sign “.”, the following sign “:” shall be substituted;
 - (ii) the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2021, namely:-
“**Provided** that where Unique Identity Number of the applicant is not mentioned in a tax invoice, the refund of tax paid by the applicant on such invoice shall be available only if the copy of the invoice, duly attested by the authorized representative of the applicant, is submitted along with the refund application in **FORM GST RFD-10**.”;
5. in the said rules, in rule 142, -
 - (a) in sub-rule (3), for the words and letters, “fourteen days of detention or seizure of the goods and conveyance”, the words, brackets and figures, “seven days of the notice issued under sub-section (3) of section 129 but before the issuance of order under the said sub-section (3)” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st January, 2022;
 - (b) in sub-rule (5), for the words, “tax, interest and penalty payable by the person chargeable with tax”, the words, “tax, interest and penalty, as the case may be, payable by the person concerned” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st January, 2022.
6. In the said rules, after rule 144, the following rule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of January, 2022, namely:-
“**144A. Recovery of penalty by sale of goods or conveyance detained or seized in transit.**- (1) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) of section 129 within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3) of the said section 129, the proper officer shall proceed for sale or disposal of the goods or conveyance so detained or seized by preparing an inventory and estimating the market value of such goods or conveyance:
Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.

(2) The said goods or conveyance shall be sold through a process of auction, including e-auction, for which a notice shall be issued in **FORM GST DRC-10** clearly indicating the goods or conveyance to be sold and the purpose of sale:

Provided that where the person transporting said goods or the owner of such goods pays the amount of penalty under sub-section (1) of section 129, including any expenses incurred in safe custody and handling of such goods or conveyance, after the time period mentioned in sub-rule (1) but before the issuance of notice under this sub-rule, the proper officer shall cancel the process of auction and release such goods or conveyance.

(3) The last day for submission of bid or the date of auction shall not be earlier than fifteen days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (2):

Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.

(4) The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer, to make the bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders, forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount, as the case may be.

(5) The proper officer shall issue a notice to the successful bidder in **FORM GST DRC-11** requiring him to make the payment within a period of fifteen days from the date of auction:

Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.

(6) On payment of the full bid amount, the proper officer shall transfer the possession and ownership of the said goods or conveyance to the successful bidder and issue a certificate in **FORM GST DRC-12**.

(7) The proper officer shall cancel the process and proceed for re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids.

(8) Where an appeal has been filed by the person under the provisions of sub-section (1) read with sub-section (6) of section 107, the proceedings for recovery of penalty by sale of goods or conveyance detained or seized in transit under this rule shall be deemed to be stayed:

Provided that this sub-rule shall not be applicable in respect of goods of perishable or hazardous nature. ”;

7. In the said rules, for rule 154, the following rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 2022, namely:—

“Disposal of proceeds of sale of goods or conveyance and movable or immovable property.—

154. (1) The amounts so realised from the sale of goods or conveyance, movable or immovable property, for the recovery of dues from a defaulter or for recovery of penalty payable under sub-section (3) of section 129 shall,—

- (a) first, be appropriated against the administrative cost of the recovery process;
- (b) next, be appropriated against the amount to be recovered or to the payment of the penalty payable under sub-section (3) of section 129, as the case may be;
- (c) next, be appropriated against any other amount due from the defaulter under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder; and
- (d) the balance, if any, shall be credited to the electronic cash ledger of the owner of the goods or conveyance as the case may be, in case the person is registered under the Act, and where the said person is not required to be registered under the Act, the said amount shall be credited to the bank account of the person concerned;

(2) where it is not possible to pay the balance of sale proceeds, as per clause (d) of sub-rule (1), to the person concerned within a period of six months from the date of sale of such goods or conveyance or such further period as the proper officer may allow, such balance of sale proceeds shall be deposited with the Fund;

8. In the said rules, in rule 159,—

(a) in sub-rule (2)-

- (A) after the words “copy of the order of attachment”, the words, letters and figures “in **FORM GST DRC-22**” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st January, 2022;

- (B) after the words “Commissioner to that effect.”, the words and figures, “and a copy of such order shall also be sent to the person whose property is being attached under section 83” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st January, 2022;
- (b) in sub-rule (3)-
- (A) for the words “and if the taxable person”, the word “and if the person, whose property has been attached,” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022;
- (B) for the words “by the taxable person”, the words, “by such person” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022;
- (c) in sub-rule (4), for the words “the taxable person” occurring at both the places, the words “such person” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022;
- (d) in sub-rule (5), for the words brackets and figure “, within seven days of the attachment under sub-rule (1), file an objection”, the words, letters and figures “file an objection in **FORM GST DRC-22A**” shall be substituted shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022;
9. In the said rules, for “**FORM GST DRC-10**”, the following form shall be substituted shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022, namely:-

“FORM GST DRC – 10

[See rule 144(2)&144A]

Notice for Auction under section 79 (1) (b) or section 129(6) of the Act

Demand order no.:

Date:

Period:

Whereas an order has been made by me for sale of the attached or distrained goods specified in the Schedule below for recovery of Rs..... and interest thereon and admissible expenditure incurred on the recovery process in accordance with the provisions of section 79.

Or

Whereas the goods or conveyance detained or seized under section 129 are liable for sale or disposal in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 129 for recovery of penalty of Rs..... payable under sub-section (3) of section 129 and the expenses incurred in safe custody and handling of such goods or conveyance and other administrative expenses

The sale will be by public auction and the goods and/or conveyance shall be put up for sale in the lots specified in the Schedule. The sale will be of the right, title and interests of the defaulter. And the liabilities and claims attached to the said properties, so far as they have been ascertained, are those specified in the Schedule against each lot.

The auction will be held on at.... AM/PM.

The price of each lot shall be paid at the time of sale or as per the directions of the proper officer/ specified officer and in default of payment, the goods and/or conveyance shall be again put up for auction and resold.

Schedule

Serial Number	Description of goods or conveyance	Quantity
1	2	3

Place:

Signature

Date:

Name

Designation: ”

10. In the said rules, in **FORM GST DRC-11,-**

- (a) for the words, figures, letter and brackets “See rule 144(5) & 147(12)”, the words, figures and brackets “See rule 144(5),144A and 147(12)” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022;
- (b) for the word “goods”, the words “goods or conveyance” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022;

11. In the said rules, in FORM GST DRC-12,-

- (a) for the words, figures, brackets and letter “See rule 144(5) & 147(12)”, the words, figures and brackets “See rule 144(5),144A and 147(12)” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022;
- (b) for the word “goods”, wherever it occurs, the words “goods or conveyance” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022;
- (c) after the words, figures, brackets and letters “provisions of section 79(1)(b)/(d)”, the words, figures and brackets “or section 129(6)” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 1st January, 2022;

12. In the said rules, for FORM GST DRC-22, the following form shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022; namely:-**“FORM GST DRC -22***[See rule 159(1)]*

Reference No.:

Date:

To

..... Name

..... Address

(Bank/ Post Office/Financial Institution/Immovable property registering authority/ Regional Transport Authority/Other Relevant Authority)

Provisional attachment of property under section 83

It is to inform that M/s -----(name) having principal place of business at -----
----- (address) bearing registration number as ----- (GSTIN/ID), PAN is a registered taxable person under the <<SGST/CGST>> Act.

or

It is to inform that Sh.....(name) resident of..... (address) bearing PAN
.....and/or Aadhaar No. is a person specified under sub-section (1A) of Section 122 .

..... Proceedings have been launched against the
aforesaid person under section <<----->> of the said Act to determine the tax or
any other amount due from the said person. As per information available with the department, it has come
to my notice that the said person has a -
<<saving / current / FD/RD / depository >>account in your << bank/post office/financial institution>> having
account no. << A/c no. >>;

or

property located at << property ID & location>>.

or

Vehicle No. <<description>>

or

Others (please specify) <<description>>

In order to protect the interests of revenue and in exercise of the powers conferred under section 83 of
the Act, I ----- (name),----- (designation), hereby provisionally attach the aforesaid
account / property.

No debit shall be allowed to be made from the said account or any other account operated by the
aforesaid person on the same PAN without the prior permission of this department.

or

The property mentioned above shall not be allowed to be disposed of without the prior permission
of this department.

Signature

Name

Designation

Copy to (person)”

13. In the said rules, in **FORM GST DRC-23**,-

- (a) after “/Immovable property registering authority”, the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st January, 2022, namely:-

“/ Regional Transport Authority/Other Relevant Authority”;

- (b) for the words “proceedings pending against the defaulting person which warrants the”, occurring twice, the words, “requirement of” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st January, 2022;

14. In the said rules, in **FORM APL-01**, in entry number 15, for the table under clause(a), the following table shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st January, 2022, namely:-

Particulars		Central tax	State/ UT tax	Integrated tax	Cess	Total amount	
(a) Admitted amount	Tax/ Cess					< total >	
	Interest					< total >	
	Penalty					<total >	
	Fees					< total >	
	Other charges					< total >	
(b) Pre-deposit (10% of disputed tax /cess but not exceeding Rs. 25 crore each in respect of CGST, SGST or cess, or not exceeding Rs. 50 crore in respect of IGST and Rs. 25 crore in respect of cess)	Tax/ Cess					< total >	< total >
(c) Pre-deposit in case of sub-section (3) of section 129	Penalty					< total >;	

15. In the said rules, after **FORM GST DRC-22**, the following form shall be inserted with effect from the 1st day of January, 2022, namely:-

“FORM GST DRC – 22A

[See rule 159(5)]

Reference No.:

Date:

ARN No. of Order in FORM GST DRC-22:

To

The Pr. Commissioner/Commissioner
.....(Jurisdiction)

Application for filing objection against provisional attachment of property

Whereas, an order in FORM GST DRC-22 has been issued for provisional attachment of the following property under the provisions of section 83 of the Act vide ARN No.....

Ref. ID	
Property provisionally attached	<< property id & location>>
Account provisionally attached	<<saving/current/FD/RD/depository account no>>
Vehicle provisionally attached	<<Vehicle details>>
Any other property	<<details >>

2. In accordance with the provisions of Rule 159(5) of the HGST Rules , 2017, I hereby submit my objection on the basis of following facts and circumstances.

<<.....>>

<<...Documents to be uploaded...>>

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Name-

GSTIN (in case of registered person)-

PAN and/or Aadhaar No. (in case of others)-

Place –

Date –

Signature of Authorized Signatory”.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 20-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2022 (MAGHA 13, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 फरवरी, 2022

संख्या 07/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपील) नियुक्त करते हैं और उनमें उक्त अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियाँ निहित होंगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 2nd February, 2022

No. 07/GST-2.— In exercise of the power conferred by section 3 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby appoints Joint Commissioners of State Tax (Appeals) for carrying out the purposes of the said Act and vest them with the powers under the said Act and the rules made there under.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9471—C.S.—H.G.P. Pkl.

(368)



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 20-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2022 (MAGHA 13, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 फरवरी, 2022

संख्या 08/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर नियम, (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 109क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“109क. अपील प्राधिकारी की नियुक्ति—(1) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के अधीन पारित किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तिथि, जिसको उक्त निर्णय या आदेश की संसूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, से तीन मास के भीतर,—

(क) राज्य कर आयुक्त को अपील कर सकता है, जहां ऐसा निर्णय या आदेश राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो;

(ख) राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है, जहां ऐसा निर्णय या आदेश राज्य कर उप आयुक्त तक के रैंक के अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।

(2) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के अधीन पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा 107 की उप-धारा (2) के अधीन निर्देशित कोई अधिकारी, उक्त निर्णय या आदेश की संसूचना की तिथि से छह मास के भीतर—

(क) राज्य कर आयुक्त को अपील कर सकता है, जहां ऐसा निर्णय या आदेश राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो;

(ख) राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है, जहां ऐसा निर्णय या आदेश राज्य कर उप आयुक्त तक के रैंक के अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।

(3) राज्य कर आयुक्त अभिलिखित किए जाने वाले प्रशासकीय कारणों से, किसी अपील को एक अपील प्राधिकारी से किसी अन्य अपील प्राधिकारी को अन्तरित कर सकता है या अपील के सारभूत समरूप आधारों के उत्पन्न होने पर अपील के बहुलित मामलों को इकट्ठा कर सकता है और उन्हें अपील प्राधिकारी को सौंप सकता है।”।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 2nd February, 2022

No. 08/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, for rule 109A, the following rule shall be substituted, namely:-

“109A. Appointment of Appellate Authority-

(1) Any person aggrieved by any decision or order passed under the Act or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) may appeal to –

- (a) the Commissioner of State Tax where such decision or order is passed by the Additional Commissioner of State Tax ;
- (b) the Joint Commissioner of State Tax (Appeals) where such decision or order is passed by the officer upto the rank of Deputy Commissioner of State Tax, within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person.

(2) An officer directed under sub-section (2) of section 107 to appeal against any decision or order passed under the Act or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) may appeal to –

- (a) the Commissioner of State Tax where such decision or order is passed by the Additional Commissioner of State Tax;
- (b) the Joint Commissioner of State Tax (Appeals) where such decision or order is passed by the officer upto the rank of Deputy Commissioner of State Tax, within six months from the date of communication of the said decision or order”

(3) The Commissioner of State Tax may transfer an appeal from one appellate authority to another appellate authority on an administrative ground to be recorded in writing or may club multiple cases of appeal arising out of substantive similar grounds of appeal and assign them to one appellate authority.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.